न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश ।

निगरानी क्रमांक *निगरानी 2083-I-15* /15

1. रामकृपाल तनय श्री पंचा कोरी निवासी ग्राम पाय तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।

2. देवेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री शंकर प्रसाद सिंह बुन्देला निवासी ग्राम पाय तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।

3. इन्द्रदेव सिंह तनय स्व0 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह बुन्देला निवासी ग्राम पहरा हाल निवासी महल रोड छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 । ---------निगरानीकर्ता-

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. टुबाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पत्नी श्री दर्हैया अहिरवार निवासी ग्राम पाय हाल निवासी ग्राम टटम तह0 महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0 ।

2. हीराबाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पत्नी श्री हीरालाल अहिरवार निवासी ग्राम पाय हाल निवासी डैनीखेडा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0।

3. मुन्नीबाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पत्नी श्री सिद्धी अहिरवार निवासी ग्राम पाय हाल निवासी ग्राम चौरा तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।

4. कुसुमबाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पत्नी श्री श्रीलाल अहिरवार निवासी ग्राम पाय हाल निवासी एयरपोर्ट कॉलोनी खजुराहो तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।

5. मुरारी तनय स्व0 श्री रामदास अहिरवार निवासी ग्राम पाय तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।

6. शासन मध्यप्रदेश । ------------------गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधि0 महो0 राजनगर के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 22/06/2015 ।

=================================

महोदय,

उक्त निगरानीकर्तागण सादर निम्न निगरानी प्रस्तुत करते है :-

(1) यह कि ग्राम पाय तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि खसरा नं0 841/2 रकबा 2.332 हैक्ट0 लगानी 5.04 रूपया की भूमि पूर्व में गुलजारी तनय स्व0 श्री रामदास अहिरवार के नाम भूमि स्वामी स्वात्व पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी ।

(2) यह कि गुलजारी अहिरवार निहशल्तान फौत हुआ है उसके कोई सगे सम्बंधी नही है । इस कारण से उसने अपने जीवन काल में अपनी उपरोक्त सम्पत्ति की वसीयत निगरानीकर्ता क्रमांक 01 रामकृपाल तनय पंचा कोरी के पक्ष में दिनांक 04/03/2002 को निस्पादित की थी । और इसी वसीयत नामा के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 88/अ-06/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2013 के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया था ।

(3) यह कि नामांतरण स्वीकृत होने के उपरान्त निगरानीकर्ता क्रमांक 01 को रूपयो की आवश्यकता थी इस कारण से उपरोक्त भूमि को दिनांक 12/09/2013 को निगरानीकर्ता क्रमांक 02 एवं03 को यह भूमि विक्रय कर दी । जिसका नामांतरण भी ग्राम पाय की नामांतरण पंजी क्रमांक 14 ... दिनांक 20/10/2013 को स्वीकृत किया गया था ।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-2083-एक/2015 जिला छतरपुर रामकृपाल विरूद्ध कटटूबाई

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 04-02-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"<br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |

04.2.19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 04.02.19
सदस्य